RAS MAINS TEST SERIES 2018

PAPER –III GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL STUDIES

Unit-II - **POLITICAL**

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है।

1. अध्यक्षीय प्रणाली की कोई दो विशेषताएँ लिखिए ?

i. शासन के तीनों अंगों में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण ।

ii. राष्ट्राध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका में।

2. भारतीय संविधान की एकात्मक प्रकृति को प्रस्तुत करने वाले उदाहरण दीजिए ?

उत्तरः– एकल संविधान, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र में, समवर्ती सूची के संदर्भ में शक्तिशाली केन्द्र, एकल नागरिकता आपातकालीन प्रावधान इत्यादि संविधान की एकात्मक प्रकृति के उदाहरण हैं।

3. अर्द्धसंघात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य हैं ?

उत्तरः–शासन का ऐसा प्रारूप जिसमें संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों के साथ एकात्मक शासन के लक्षणों का भी समावेश हो। उदाहरण–भारत ।

4. संसदीय प्रणाली के कोई दो प्रमुख दोष लिखिए ?

i. कार्यपालिका व विधायिका अन्तः संबंधित, अतः शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं।

ii.क्षेत्रीय राजनीति के मुद्दे राष्ट्रीय हित पर हावी हो जाते है व दलगत राजनीति को बढावा मिलता हैं।

5. संसद के प्रमुख कार्य लिखिए ?

उत्तरः–विधि/कानूनों का निर्माण, संविधान संशोधन का कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, जनता की समस्याओं व विकास के मुद्दों पर विचार-विमर्श इत्यादि संसद के प्रमुख कार्य हैं।

6. सांसदो के विशेषाधिकारों पर टिप्पणी कीजिए ?

उत्तरः–जन प्रतिनिधि होने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए सांसदो को व्यक्तिगत एवं सामुहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार दिये गये है। व्यक्तिगत विशेषाधिकारों में विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तार किये जाने से उन्मुक्ति व न्यायालय में गवाह के रूप में उपस्थित होने से रियायत शामिल है। वही सामुहिक विशेषाधिकार में सदन की कार्यवाही को प्रकाशित व प्रसारित करना, दर्शक दीर्घा व प्रेस दीर्घा पर नियंत्रण, बाह्य व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित करना इत्यादि सम्मिलित हैं।

7. लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख कीजिए ?

उत्तरः–लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता हैं। धन विधेयक का प्रमाणन, समितियों का गठन, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, निर्णायक मत का उपयोग, सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा, महासचिव की नियुक्ति, विधानमण्डलों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता, सदन में अनुशासन बनाये रखने व दल-बदल संबंधी शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष मे समाहित होती हैं।

8. 'एक देश-एक चुनाव' पर अपने विचार व्यक्त कीजिए ?

उत्तरः–नीति आयोग की अनुशंसा पर 'एक देश –एक चुनाव' की अवधारणा विचाराधीन प्रक्रिया हैं। देश के विभिन्न भागों मे चुनाव की अविराम प्रक्रिया के कारण अनावश्यक व्यय व इसी के साथ लागू होती आदर्श आचार संहिता से प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान सर्वविदित है। निश्चित ही एक साथ चुनाव करवाने से इस समस्या का न्यूनीकरण संभव हैं, साथ ही सांसदों व विधायकों से अधिक समन्वय की आशा की जा सकती है, परन्तु इस हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता हैं।

इस संदर्भ में राजनैतिक दलों में मतैक्यता का अभाव हैं। साथ ही ई.वी.एम. व कर्मचारियों की उपलब्धता, विजय के पश्चात् 5 वर्षों हेतु दलों में निश्चितता से नियंत्रण-संतुलन की समस्या, क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी से राज्यों की स्वायत्तता में कमी, समय पूर्व सरकार-विघटन से चुनावी समय-सारणी के टूटने जैसी समस्याओं के उत्पन्न होने के आसार हैं।

अतः संघवाद के मूल्यों को संरक्षित रखते हुए दो चरणों में चुनाव करवाना एक उत्तम विकल्प हो सकता है। समय पूर्व सरकार विघटन की स्थिति में निकटतम चरण के साथ चुनाव/राष्ट्रपति शासन अथवा मिली-जुली सरकार जैसे विकल्प हो सकता हैं।